भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .34

जिसका उत्तर बुधवार, 18 जुलाई 2018 को दिया जाना है

टेली-लॉ स्कीम

34. श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार ने पूरे देश में निर्धन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आम सेवा केन्द्रों (सीएससी) के साथ टेली-लॉ स्कीम आंरम्भ की है ;
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित किए गए सीएससी की कुल संख्या कितनी है ; और
टेली लॉ स्कीम की पहल से सीएससी के माध्यम से लाभान्वित होने वाले निर्धन व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) : जी, हां।

(ख) : अप्रैल 2017 में सरकार ने देश के 11 राज्यों में 1800 ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से निःशुल्क विधिक सलाह प्रदान करने हेतु टेली-विधि स्कीम को आरंभ किया था। इस स्कीम के अधीन, सरकार सीएसई-ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्यों में स्थापित किए गए

विद्यमान सीएससी का उपयोग कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और सीएसई-ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए पैनल वकीलों द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 में यथा उल्लेखित समाज के सीमांत वर्ग से व्यक्तियों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करना है। तारीख 13.07.2018 को टेली विधि पोर्टल में सलाह मांगने के लिए 24,855 व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और रजिस्ट्रकृत 24,855 मामलों में से 21731 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की गई है। ये मामले सिविल मामले, अपराधिक मामले, कुटुम्ब, वैवाहिक और उत्तराधिकारी मामले, भूमि अर्जन/संपत्ति विवाद से संबंधित हैं।

(ग) : समाज के सीमांत और कमजोर वर्गों से संबंधित उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने तारीख 13.07.2018 तक टेली-विधि सेवा से लाभ प्राप्त किया है, की संख्या का राज्य-वार विवरण **उपाबंध-क** पर संलग्न है।

****

<u>उपाबंध-क</u>

श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा टेली-विधि से संबंधित उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 34 जिसका उत्तर 18.07.2018 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट उपाबंध

समाज के सीमांत और आरक्षित वर्गों से संबंधित उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने तारीख 13.07.2018 तक टेली-विधि सेवा से लाभ प्राप्त किया है, की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	**महिला**	**अ.पि.व**	**अ.ज**	**अ.ज.ज**	**गरीबी रेखा से नीचे का वर्ग**
बिहार	1186	1545	428	74	301
उत्तर प्रदेश	971	1416	533	22	129
अरुणाचल प्रदेश	101	19	4	180	8
असम	2057	966	233	247	448
जम्मू और कश्मीर	2154	729	874	797	489
मणिपुर	21	24	14	2	1
मेघालय	154	5	1	400	2
मिजोरम	0	0	0	0	0
नागालैंड	224	4	2	550	9
सिक्किम	3	0	2	0	0
त्रिपुरा	155	81	52	70	28
सकल योग	7026	4789	2143	2342	1415